न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (ब्यावर)

पीठासीन अधिकारी :—श्री पूरण कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 89/2023
प्रकरण दर्ज तिथि :— 24.08.2023
जीसीएमएस नम्बर :— 2023/198

धरमीचन्द पुत्र श्री जुगराज, उम्र—51 वर्ष, जाति कलाल, निवासी झाला की चौकी तहसील रायपुर
वादी

बनाम

1. केवल सिंह पुत्र श्री तेजसिंह, उम्र—वयस्क, जाति रावत निवासी पचानपुरा
2. तुलसासिंह पुत्र श्री तेजसिंह, उम्र—वयस्क, जाति रावत निवासी पचानपुरा
3. पप्पु सिंह पुत्र श्री तेजसिंह, उम्र—वयस्क, जाति रावत निवासी पचानपुरा
4. बिदामी पत्नि श्री तेजसिंह, उम्र—वयस्क, जाति रावत निवासी पचानपुरा
5. कने सिंह पुत्र श्री मानसिंह फौत होने से उनके कायम मुकाम :—
   - 5.1 गोविन्दसिंह पुत्र श्री कनेसिंह, उम्र—वयस्क, जाति रावत निवासी पचानपुरा
   - 5.2 बहादुरसिंह पुत्र श्री कनेसिंह, उम्र—वयस्क, जाति रावत निवासी पचानपुरा
   - 5.3 हमीरसिंह पुत्र श्री कनेसिंह, उम्र—वयस्क, जाति रावत निवासी पचानपुरा
   - 5.4 धन्नुदेवी पुत्री कनेसिंह, उम्र—वयस्क, जाति रावत निवासी पचानपुरा
   - 5.5 पुष्पादेवी पुत्री कनेसिंह, उम्र—वयस्क, जाति रावत निवासी पचानपुरा
   - 5.6 सविता पुत्र श्री कनेसिंह, उम्र—वयस्क, जाति रावत निवासी पचानपुरा
   - 5.7 राजीदेवी पत्नि श्री कनेसिंह, उम्र—वयस्क, जाति रावत निवासी पचानपुरा
6. घीसासिंह पुत्र श्री उदयसिंह, उम्र—वयस्क, जाति रावत निवासी पचानपुरा
7. पुनमसिंह पुत्र श्री उदयसिंह, उम्र—वयस्क, जाति रावत निवासी पचानपुरा
8. भीमसिंह पुत्र श्री उदयसिंह, उम्र—वयस्क, जाति रावत निवासी पचानपुरा
9. फेफी पत्नि श्री उदयसिंह, उम्र—वयस्क, जाति रावत निवासी पचानपुरा
10. भेरसिह पुत्र श्री पुर सिह, उम्र—वयस्क, जाति रावत निवासी पचानपुरा
11. किशनसिह पुत्र श्री पुरसिंह, उम्र—वयस्क, जाति रावत निवासी पचानपुरा
12. सोहनी पत्नि श्री पुरसिंह, उम्र—वयस्क, जाति रावत निवासी पचानपुरा, तहसील रायपुर
13. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार रायपुर तहसील कार्यालय, रायपुर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 188 राज. काश्त. अधि.

उपस्थित 1 श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादीगण
2 प्रतिवादीगण अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः 12.08.2024

वादीगण की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला द्वारा दावा बाबत् घोषणा वादपत्र धारा 88 राज. काश्त. अधि. के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण सरहद मौजा पचानपुरा के खाता सं. 9 खसरा सं. 512/3 रकबा 0.9712 हैक्टेयर, किस्म बारानी अव्वल भुमि प्रतिवादीगण सं. 1 से लगायत 12 के नाम शामलाती खातेदारी कृषि भुमि आई हुई है। उपरोक्त वर्णीत आराजीयात को आगे वाद पत्र मे वादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया जाएगा तथा सवत् 2075—78 की जमाबंदी, प्रतिवादी सं. 1 से 12 के द्वारा किया गया रजिस्टर्ड बेचाननामा की फोटो प्रति वाद पत्र के साथ पेश है जिसे वाद पत्र का आवश्यक भाग माना जावें। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी मे प्रतिवादीगण की पुश्तैनी खातेदारी भुमि आई हुई है। उक्त भुमि सरहद मौजा पचानपुरा के खाता सं. 9 खसरा सं. 512/3 रकबा 0.9712 हैक्टेयर, किस्म बा. अ. मे प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी भुमि आई हुई हैं एवं उनका हक हिस्सा बनाता है। जिसमे प्रतिवादीगण को रूपयो कि आवश्यकता होने से उक्त भुमि का बेचान मुझ वादी को जरिये रजिस्ट्री दिंनाक 17/12/2014 को बेचान कर दिया जो उपपंजीयन कार्यालय रायपुर के यहां पुस्तक सं. 1 के जिल्द सं. 246 मे पृष्ट सं. 177 क्रम सं. 2014002611 पर पंजीबद्व है जिसकी प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

वादी ने पजीकृत दस्तावेज बेचाननामा की एक फोटो प्रतिलिपि पटवारी महोदय को दी एवं यह सद्विश्वास में रहे की पटवारी महोदय ने उस बेचाननामा का नामान्तरण भर दिया होगा। एवं वादी ने अपने काम काज मे व्यस्त रहने से कभी राजस्व रेकर्ड का अवलोकन नही किया। जिस कारण उसे यह ज्ञात हो की उसके बेचाननामा का नामान्तरण नहीं हुआ है। जबकि खरीद दिंनाक से आज तक वादी का ही कब्जा काश्त है। तथा बेचानकर्ता सं. 1 एवं प्रतिवादी सं. 5 कनेसिंह पुत्र श्री मानसिंह का देहान्त हो गया एवं उनके परिवारजन ने उनका फौतेदगी नामान्तरण भरवाने हेतु दस्तावेज दिये जिस पर तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरण सं. 1153 भरा जाकर दिंनाक 19/04/2022 को स्वीकृत करवा दिया एवं कानसिंह पुत्र रतनसिंह के स्थान पर उनके विधिक वारिशानों के नाम दर्ज हो गयै। जिस कारण बेचाननामा अनुसार नामान्तकरण नही होने से उक्त वादपत्र की आवश्यकता हुई। वर्तमान मे वादी ने दिंनाक 11/07/2023 को भारत सरकार से मिलने वाली 6,000/– प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ लेने कि आवश्यकता होने पर ईमित्र से जमाबन्दी निकलवाई तब वादी का नाम दर्ज नही होने पर वो हल्का पटवारी के पास गया एवं हल्का पटवारी के द्वारा जमाबन्दी का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि वर्तमान जमाबन्दी मे वादी का नाम दर्ज नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण का नाम दर्ज चला आ रहा है। वादी ने जमाबन्दी की नकल एवं पंजीकृत दस्तावेत लेकर वर्तमान पटवारी महोदय के पास जाने पर हल्का पटवारी ने बेचाननामा मे बेचानकर्ता एवं वर्तमान जमाबन्दी मे खोतदार मे परिवर्तन होने से वादी के नाम नामान्तरण भरने से मना कर दिया एवं उक्त रजिस्ट्री के नामान्तरण करवाने हेतु न्यायलय मे वाद कर आदेश करवाकर लाने की सलाह दी। जिस कारण उक्त वाद बमुकाम पचानपुरा पटवार हल्का पचानपुरा, तहसील–रायपुर, जिला–पाली में पैदा होता है, जो अदालत बाला के क्षैत्राधिकार, श्रवणाधिकार व हक अखत्यार का होने के वाद अन्दर मियाद पेश है। इसलिये पजीकृत दस्तावेज का नामान्तरण करवाने हेतु श्री मान के सम्मुख वाद करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। वादी के द्वारा खरीद भुमि के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है, इसलिये यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादी अपने हक हिस्से पर मोके पर काबिज है, तथा अपने हक हिस्से की जमीन का उपयोग उपभोग बिना किसी रोक टोक के आज दिन तक करती आ रही है, तथा वादी ने अपने हक हिस्से की जमीन को उपजाउ बनाया है अगर वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे वादी का नाम इन्द्राज नहीं किया जाता है तो वादी को बैंक से ऋण लेने व सरकार से मिलने वाले कृषि भुमि के फायदे नहीं हो पायेगे जिससें वादी को असीम क्षति व भारी नुकसान होगा व वादी को अपने हक अधिकार से वंचित होना पडेगा। वादी के पास न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं होने से वादी अपने हितों व अधिकारों की सुरक्षा के लिये यह वाद राजस्व रेकर्ड में पंजीकृत दस्तावेज के अनुसार अपना नाम दर्ज करवाकर अपने नाम की वादग्रस्त भुमि मे खातेदार की घोषणा करवाने हेतु माननीय न्यायालय में पेश कर रहा हैं।

प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 व 6 से लगायत 10 तक तथा प्रतिवादी सं. 5 के फौत होने पर उनके वारिशानों से अनुतोष चाहने के कारण को प्रतिवादी बनाया गया है। शेष सहखातेदार से कोई अनुतोष नही चाहने से उन्हे पक्षकार नही बनाया है। उक्त प्रकरण प्रतिवादी नंबर 13 के विरूद्ध भी प्रस्तुत किया गया है जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व उन्हें धारा 80 जा.दी. के तहत दो माह की अवधि का विधिक सूचना पत्र दिया जाना आवश्यक है किंतु मौजूदा वाद एक आवश्यक प्रकृति का वाद है जिसमें यदि दो माह का नोटिस दिया जाकर इंतजार किये जाने से मौजूदा वाद का मकसद ही विफल हो जायेगा अतः नोटिस से छूट प्रदान किये जाने हेतु अलग से धारा 80(2) जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त की जा रही है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाकर यह आदेश दिया जावे कि वाद में वर्णित सरहद मौजा पचानपुरा के खाता सं. 9 खसरा सं. 512/3 रकबा 0.9712 हैक्टेयर, किस्म बारानी अव्वल भुमि प्रतिवादीगण सं. 1 से लगायत 12 के नाम शामलाती खातेदारी कृषि भुमि आई हुई जिसे प्रतिवादीगण द्वारा अपनी सम्पुर्ण भुमि का बेचान वादी को करने से बेचान नामा के अनुसार विवादित भुमि मे प्रतिवादी के स्थान पर वादी को विवादित भुमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। वादी को राजस्व रेकर्ड मे वादी का नाम दर्ज करने हेतु प्रतिवादी सं. 13 को आदेशित किया जावे कि वो वादी का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करे। विवादित भुमि मे वादी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग मे परेशानी नही करे। प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वो वादग्रस्त आराजी मे वादी के काबिज हिस्से मे दखलंदाजी प्रतिवादीगण स्वयं, नोकर चाकर, हाली, एजेन्ट ना करें। ना ही कराये।

अतः वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 12 के सम्मन तामिल के बावजूद अनुपस्थित हैं। इन्हे पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। वादी की ओर मुख्य परीक्षण साक्ष्य का पेश किया हैं जो संलग्न पत्रावली किया गया। दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। वादी के बयान कलमबद्ध किये गये तथा जिरह परीक्षण शून्य किया गया।

बहस समायत की गई। वादी अधिवक्ता ने दौराने बहस बताया कि सरहद मौजा पचानपुरा के खाता सं. 9 खसरा सं. 512/3 रकबा 0.9712 हैक्टेयर, किस्म बारानी अव्वल में प्रतिवादीगण के स्थान पर वादी को खातेदार घोषित किया जावें।

बहस के दौरान दिये गये तर्को एंव पत्रावली पर पेश दस्तावेजो का गहनता पूर्वक अवलोकन एंव मनन करने पर निष्कर्ष यह निकलता है कि सरहद मौजा पचानपुरा के खाता सं. 9 खसरा सं. 512/3 रकबा 0.9712 हैक्टेयर, किस्म बारानी अव्वल भूमि, वादी की खरीद सुदा भूमि हैं इसीलिए उक्त विवादित आराजी में प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 12 के स्थान पर वादी को खातेदार घोषित किये जाने के आदेश दिया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा पचानपुरा पटवार हल्का पचानपुरा के खाता सं. 9 खसरा सं. 512/3 रकबा 0.9712 हैक्टेयर, किस्म बारानी अव्वल में प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 12 के स्थान पर वादी को खातेदार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।. वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलअंदाजी से प्रतिवादीगण, उनके नौकर–चाकर, हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। शेष खाता यथावत रहेगा। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जाकर पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को प्रेषित किया जावें।

(पूरण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

बईजलास :– श्री पूरण कुमार आर.ए.एस.

धरमीचन्द पुत्र श्री जुगराज, उम्र–51 वर्ष, जाति कलाल, निवासी झाला की चौकी तहसील रायपुर

वादी

बनाम

1. केवल सिंह पुत्र श्री तेजसिंह, उम्र–वयस्क, जाति रावत निवासी पचानपुरा
2. तुलसासिंह पुत्र श्री तेजसिंह, उम्र–वयस्क, जाति रावत निवासी पचानपुरा
3. पप्पु सिंह पुत्र श्री तेजसिंह, उम्र–वयस्क, जाति रावत निवासी पचानपुरा
4. बिदामी पत्नि श्री तेजसिंह, उम्र–वयस्क, जाति रावत निवासी पचानपुरा
5. कने सिंह पुत्र श्री मानसिंह फौत होने से उनके कायम मुकाम :–
   - 5.1 गोविन्दसिंह पुत्र श्री कनेसिंह, उम्र–वयस्क, जाति रावत निवासी पचानपुरा
   - 5.2 बहादुरसिंह पुत्र श्री कनेसिंह, उम्र–वयस्क, जाति रावत निवासी पचानपुरा
   - 5.3 हमीरसिंह पुत्र श्री कनेसिंह, उम्र–वयस्क, जाति रावत निवासी पचानपुरा
   - 5.4 धन्नुदेवी पुत्री कनेसिंह, उम्र–वयस्क, जाति रावत निवासी पचानपुरा
   - 5.5 पुष्पादेवी पुत्री कनेसिंह, उम्र–वयस्क, जाति रावत निवासी पचानपुरा
   - 5.6 सविता पुत्र श्री कनेसिंह, उम्र–वयस्क, जाति रावत निवासी पचानपुरा
   - 5.7 राजीदेवी पत्नि श्री कनेसिंह, उम्र–वयस्क, जाति रावत निवासी पचानपुरा
6. घीसासिंह पुत्र श्री उदयसिंह, उम्र–वयस्क, जाति रावत निवासी पचानपुरा
7. पुनमसिंह पुत्र श्री उदयसिंह, उम्र–वयस्क, जाति रावत निवासी पचानपुरा
8. भीमसिंह पुत्र श्री उदयसिंह, उम्र–वयस्क, जाति रावत निवासी पचानपुरा
9. फेफी पत्नि श्री उदयसिंह, उम्र–वयस्क, जाति रावत निवासी पचानपुरा
10. भेरसिह पुत्र श्री पुर सिह, उम्र–वयस्क, जाति रावत निवासी पचानपुरा
11. किशनसिह पुत्र श्री पुरसिंह, उम्र–वयस्क, जाति रावत निवासी पचानपुरा
12. सोहनी पत्नि श्री पुरसिंह, उम्र–वयस्क, जाति रावत निवासी पचानपुरा, तहसील रायपुर
13. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार रायपुर तहसील कार्यालय, रायपुर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 188 राज. काश्त. अधि.

राजस्व वाद 89/2023

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदईव प्रतिवादीगण अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा पचानपुरा पटवार हल्का पचानपुरा के खाता सं. 9 खसरा सं. 512/3 रकबा 0.9712 हैक्टेयर, किस्म बारानी अव्वल में प्रतिवादीगण संख्या 01 से लगायत 12 के स्थान पर वादी को खातेदार घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलअंदाजी से प्रतिवादीगण, उनके नौकर–चाकर, हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। शेष खाता यथावत रहेगा।

नीज........................×..................मुबलिक...............×..............बाबत्.............×............ खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....×................फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....×.............................को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.08.2024 को जारी किया गया।

(पूरण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	01	00	स्टाम्प वकालतनामा	–	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	01	00	स्टाम्प हाजरी	–	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	–	00	00	मेहनताना वकील पर	–		
मेहनताना वकील	–			खर्चा गवाहान	–		
खर्चा गवाहान	–			फीस कमिश्नर	–		
फीस कमिश्नर	–			बाबत इजराय हुक्मनामा	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–			मुतफरिक	–	00	00
मुतफरिक	–	5	00	मीजान			
मीजान		07	00			00	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।